



Neutral Citation No. - 2026:AHC:16025

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट - ए संख्या- 279/2026**

मोहम्मद सानिल

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

---

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : बिजेन्द्र कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

---

**न्यायालय संख्या - 33**

**माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार**

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम श्याम शंकर और राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अनूप कुमार को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि वह वर्ष 2006 में एक दिहाड़ी मजदूर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था और दावा यह है कि वह वरिष्ठ की अत्यधिक संतुष्टि के लिए बिना किसी ब्रेक के लगातार काम कर रहा है, हालांकि, रिट याचिकाकर्ता को न्यूनतम वेतनमान का हकदार नहीं बनाया गया है और इस संबंध में उसने 15.02.2024 को प्रभागीय वन के समक्ष एक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी है सामाजिक वानिकी प्रभाग, शाहजहांपुर के अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
3. वर्तमान याचिका में रिट याचिकाकर्ता को न्यूनतम वेतनमान प्रदान करने की प्रार्थना है।
4. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जो भी प्रश्न उठता है वह यह होगा कि क्या रिट याचिकाकर्ता पहले से ही काम कर रहा है और उसकी पात्रता के प्रश्न हैं, पहली बार में तीसरे प्रत्यर्थी, प्रभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, शाहजहांपुर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा जांच की जानी है, इस प्रकार, उनके अनुसार, रिट याचिकाकर्ता उक्त प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।

5. इस तरह के एक निवेदन पर, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

6. बार में की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा रिट याचिकाकर्ता को 06.02.2026 तक तीसरे प्रतिवादी के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने का निर्देश देने के लिए किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर, तीसरा प्रतिवादी पात्रता और रिट याचिकाकर्ता के दावे की जांच करेगा और उसके बाद दो महीने की अवधि के भीतर आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा और, यदि रिट याचिकाकर्ता **रिट याचिका संख्या 12358/2019 (राम नरेश और ओथर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य)**, **रिट याचिका संख्या 18119/2019 (राम औतार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य)**, **रिट याचिका संख्या 18693/2020 (मो. सहीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य)**, **रिट याचिका संख्या 2844/2023 (सुरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य)** में निर्णय के आलोक में उक्त लाभों का हकदार है, तो उक्त लाभ रिट याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

22 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)